सप्तदश बिहार विधान सभा

एकादश सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-28.02.2024 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	श्रीमती शालिनी मिश्रा, स०वि०स० श्रीमती मीना कुमारी, स०वि०स० श्रीमती शीला कुमारी स०बि०स०	"संयुक्त सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2113, दिनांक 27.03.2023 के आलोक में हिट एंड रन वाहन दुर्घटना के मामले में मुआवजा का भुगतान जारी है, परंतु दिनांक 01.04.2022 के पूर्व हिट एंड रन वाहन दुर्घटना में हजारों लोगों की मृत्यु हुई है । सरकार का दिशा-निर्देश नहीं रहने के कारण पूर्वी चम्पारण, पश्चिमी चम्पारण, गोपालगंज जिला सहित पूरे राज्य में हजारों परिवारों का मुआवजा का भुगतान लम्बित है । हिट एंड रन के मामले में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित Compensation to victim of hit & run motor accident scheme, 2022 में निहित प्रावधान/प्रक्रिया के तहत मुआवजा दिये जाने का प्रावधान है तथा हिट एंड रन वाहन दुर्घटना के मामले में माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा भी मुआवजा भुगतान करने हेतु आदेश पारित है । अत: दिनांक 01.04.2022 के पूर्व हिट एंड रन वाहन दुर्घटना में मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा भुगतान कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।"	परिवहन

2. श्री भाई वीरेन्द्र, स०वि०स० श्री गोपाल रविदास, स०वि०स० श्री राजेश कुमार, स०वि०स०	''पटना, आरा एवं छपरा जिलों की सीमावर्ती क्षेत्रों से सोन एवं गंगा नदी बहती है । जिससे उजला एवं पीला बालू का खनन किया जाता है । स्थानीय लोगों द्वारा लाखों की लागत से नाव का निर्माण कर बालू का कारोबार किया जाता है । यह कारोबार लाखों मजदूरों के जीविकोपार्जन का साधन है । परन्तु सरकार द्वारा बालू खनन पर रोक के साथ विभाग एवं पुलिस प्रशासन द्वारा आये दिन नावों को जला दिया जा रहा है, जिसके कारण स्थानीय नाव मालिकों को आर्थिक क्षति के साथ-साथ मजदूरों के सामने भूखमरी की स्थिति है । अत: बालू का चालान निर्गत कर बालू खनन चालू कराने एवं नावों का निबंधन कराने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करते हैं ।''	खान एवं भूतत्व

राज कुमार
सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-8/2024- 426 / वि०स०, पटना, दिनांक- 27 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रति:- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(संजीव कुमार)
अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-8/2024- 426 / वि०स०, पटना, दिनांक- 27 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रति:- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्य मंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमश: माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्य मंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(संजीव कुमार)
अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-8/2024- 426 / वि०स०, पटना, दिनांक- 27 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रति:- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / परिवहन विभाग / खान एवं भूतत्व विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(संजीव कुमार)
अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-8/2024- 426 / वि०स०, पटना, दिनांक- 27 फरवरी, 2024 ई० ।

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव एवं सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमश: माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

(संजीव कुमार)
अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।